B-II
L-28
I. Polity

लोकतांत्रिक (Democratic) संसदीय प्रणाली -

भारत
(i) निर्वाचित
(ii) जनता
(iii) सरकार (मंत्रिपरिषद)
(iv) उत्तरदायित्व
(v) सरकार का परिवर्तन

USA
- राष्ट्रपति
- 4 वर्ष का नियत निश्चितकालीन उत्तरदायित्व
- शक्ति पृथक्करण

ब्रिटेन
- मंत्रिमण्डल
- प्रतिदिन का उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल को कभी-कभी
- संसदीय सर्वोच्चता

शक्ति पृथक्करण :-

- अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा सरकार को सीमित करने के लिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु शक्ति की पृथक्करण की नीति को अपनाया। जिसके अनुसार सरकार के तीनों अंगों के कार्य पृथक होंगे।

अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। और राष्ट्रपति में समूची कार्य-

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR
Scanned by CamScanner

पालिका शक्तियों निहित हैं जबकि न्यायालय विवादों का समाधान करता है।

- अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के कार्य के अलावा पदाधिकारी भी पृथक हैं क्योंकि मंत्रिमण्डल या कार्यपालिका का सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता।

- शक्ति पृथक्करण में कार्यकाल भी पृथक है क्योंकि प्रतिनिधि सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है।

- शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण और संतुलन का विचार भी अपनाया गया है और यह संयोग का विषय है कि भारत में संसदीय शासन अपनाया गया लेकिन इसके साथ शक्ति पृथक्करण के विचार को भी स्वीकार किया गया लेकिन भारत में शक्तिपृथक्करण अमेरिका से अलग है। यह केवल कार्य के स्तर पर पाया जाता है जिसके अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग हैं लेकिन भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विलय होता है अतः भारत में न तो विधायिका, कार्यपालिका का कार्यकाल पृथक होता है. न ही पदाधिकारी का कार्यकाल पृथक होता है।

Scanned by CamScanner

इसलिए भारत में शक्तिपृथक्करण है क्योंकि मंत्रिमण्डल को विधि निर्माण का अधिकार नही है जो विधायिका को प्रदान किया गया है। और न्यायालय का कार्य विवादों को हल करना, संविधान की व्याख्या करना है इसलिए न्यायालय को विधि निर्माण और नीति निर्माण का अधिकार नही है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में बेंच का गठन करता है। जबकि स्पीकर सदन का संचालन करता है यही शक्ति पृथक्करण है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

नियंत्रण एवं संतुलन :-

- अमेरिकी शासन से ही भारत में नियंत्रण और संतुलन का विचार लिया गया, जिसके अनुसार यदि संसद जल्दबाजी में या हड़बड़ी में किसी विधि का निर्माण करती है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। (अनु० 111)
- जबकि न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका दोनों के कार्यों पर निगरानी बनाए रखती है। उदाहरण के लिए हाल ही में न्यायपालिका ने

Scanned by CamScanner

इलेक्टोरल बोन्ड को रद्द कर दिया।
दूसरी ओर संसद भी न्यायालय को नियंत्रित करती है क्योंकि न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति रखती है।

भारत में संसदीय शासन की विशेषता :-

- भारत में संसदीय शासन को मंत्रिमण्डलीय शासन के रूप में भी जानते हैं क्योंकि संसदीय शासन में शक्तियाँ मंत्रिमण्डल में निहित होती हैं जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसका आधार संविधान के अनु० 74(1) में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल के कार्यप्रणाली का मूल आधार है जिसके अनुसार मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप में मंत्रिमण्डल के निर्णयों पर असहमति व्यक्त नहीं कर सकता और यदि संसद में किसी मंत्री के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका उत्तरदायित्व समूचे मंत्रिपरिषद को लेना होगा और लोकसभा समूचे मंत्रिपरिषद

Scanned by CamScanner

के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है

- संसदीय शासन में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं जबकि प्रशासन का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है इसलिए संविधान के अनु० 75(2) में यह उल्लेखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा जिसका व्यवहारिक अभिप्राय यह है कि प्रधानमंत्री कभी भी अपने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों में फेरबदल कर सकता है।

- संवैधानिक प्रधान रखने का यह भी कारण है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता उसके विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है इसलिए नवीन सरकार के निर्माण हेतु राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक प्रधान आवश्यक हैं।

- संसदीय शासन मंत्रिमण्डल का शासन है लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका समकक्षों में प्रथम की होती है। प्रधानमंत्री भी अन्य मंत्रियों की भाँति एक मंत्री होता है इसलिए समकक्ष व समान है लेकिन वह मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करता है विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का आबंटन करता है इसलिए वह प्रथम है।

Scanned by CamScanner

संसदीय शासन, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता नहीं :-

- संसद भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च केन्द्र है लेकिन ब्रिटेन की संसद की भाँति सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में कहावत है कि संसद कुछ भी कर सकती है सिवाए महिला से पुरुष और पुरुष से महिला बनाने के।
- ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता होने के मूल कारण निम्नलिखित हैं -

(i) लिखित संविधान नहीं है।
(ii) शासन एकात्मक है। इसलिए शक्तियों का एकीकरण है।
(iii) संविधान के लिखित न होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का विचार संभव नहीं है इसलिए संसद की विधि ही सर्वोच्च है।

- भारतीय संसदीय शासन में संसद संविधान के विरुद्ध किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती और न ही मूल अधिकारों को छीन सकती है और मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय को है तथा संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, इसलिए भारत की संसद की शक्तियाँ अनेक प्रतिबंधों से सीमित हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR
Scanned by CamScanner